

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, J.A.S.

प्रकरण संख्या -47/2024 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2024/141

1. सुशीला बाई पत्नी स्व0 टीकमचंद जैन
2. पवन कुमार जैन पुत्र स्व0 टीकमचंद जैन
3. लोकेश जैन पुत्र श्री स्व0 टीकमचंद जैन
4. पूजा पत्नी मुकेश पुत्री स्व0 टीकमचंद जैन
5. ममता पत्नी राजेन्द्र पुत्री स्व0 टीकमचंद जैन
6. बीना जैन पत्नी श्री गोपाल जैन पुत्री स्व0 टीकमचंद जैन

निवासीगण यादव मोहल्ला वार्ड नं0 2 कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

नायब तहसीलदार मण्डाना जिला कोटा

—रेस्पोंडेंट.



अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध नामान्तरकरण
सं0 2056 दिनांक 28.05.2024 तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

1. धारा सिंह मीणा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोंकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 24.09.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कसार में खाता संख्या नया 133 व पुराना 116 की आराजी खसरा नं0 20 की रकबा 0.48 हे0 खातेदार टीकमचंद जैन के संयुक्त खाते दर्ज थी, खातेदार टीकमचंद फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा फौती इन्तकाल नं0 2056 दिनांक 10.05.2024 को वारिसान के नाम दर्ज किया गया किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा उक्त नामान्तरकरण संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं होने का नोट लगाते हुए दिनांक 28.5.2024 को खारिज कर दिया ।
2. नायब तहसीलदार मण्डाना के उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2024 को प्रस्तुत की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी की गई । वकील अपीलांट एवं पेरोंकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।
3. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट के पिता टीकचन्द पुत्र रामनारायण के संयुक्त खाते की आराजी खाता नं0 नया 133 व पुराना 116 की आराजी खसरा नं0 20 की रकबा 0.48 हे0 वाके ग्राम कसार पटवार हल्का कसार तहसील लाडपुरा कोटा पर स्थित है जिसमें टीकमचंद का 1/6 हिस्सा अधिकार चला आ रहा है, लेकिन टीकमचंद का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान में अपीलांटगण है । अपीलांटगण ने टीकमचंद की हिस्सा आराजी का फौती इन्तकाल खुलवाने व टीकमचंद की हिस्सा आराजी को अपने पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने हेतु रेस्पोंडेंट के यहां पर ऑनलाईन प्रार्थना पत्र समस्त दस्तावेज सहित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र इस टिप्पणी के साथ अपने आदेश दिनांक 28.5.2024 से खारिज कर दिया गया कि संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय चाहते तो दस्तावेज को पुनः मांग कर स्पष्टीकरण करा सकते थे, असल

जिला कलेक्टर,
कोटा

दस्तावेज तलब कर स्पष्टीकरण ले सकते थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना तथ्यों पर गौर किये ही उक्त फौती इंतकाल खुलवाये जाने का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 28.5.2024 को अपास्त कर अपीलांट के पक्ष में उनके पिता व पति टीकमचन्द के देहान्त के बाद उनके वारिसान होने से उनकी हिस्सा आराजी जिसका वर्णन अपील की मद क्रम 2 में दिया गया है पर अपीलांट के पक्ष में फौती इंतकाल खोला जाकर उक्त हिस्सा आराजी को अपीलांट व उसकी सुशीला बाई के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

4. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांटगण द्वारा मूल दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वारिसान के नाम फौती इन्तकाल स्वीकृत किया जा सकता है ।
5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम कसार में खाता संख्या नया 133 व पुराना 116 की आराजी खसरा नं0 20 की रकबा 0.48 हे0 खातेदार टीकमचंद पुत्र रामनारायण के संयुक्त खाते दर्ज थी, खातेदार टीकमचंद फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा फौती इन्तकाल नं0 2056 दिनांक 16.05.2024 को वारिसान के नाम दर्ज किया गया किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा उक्त नामान्तरकरण संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं होने का नोट लगाते हुए दिनांक 28.5.2024 को खारिज किया जाने से अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 24.07.2024 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई हे जो अन्दर मियाद नहीं है किन्तु अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।
6. प्रस्तुत अपील में अपीलांट का तर्क उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण इस आधार पर खारिज कर दिया है कि संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं, स्पष्ट किस आधार पर नहीं है यह अंकित नहीं किया है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्पष्ट नहीं थे तो मूल दस्तावेजों अपीलांटगण आवेदकों को प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकता था, किन्तु मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं कर नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया जो उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पाते है ।
7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना को आदेशित किया जाता है कि आवेदक अपीलांट से खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्राप्त कर विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर सक्षम स्तर से स्वीकृत किया जावें ।
8. निर्णय आज दिनांक 24.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर

कोटा